



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018—भाद्र 23, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3209-4060-इक्कीस-ब (दो)-2018.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से “मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(1) संबंधित न्यायिक अधिकारी के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय चरित्रावली अभिलेख में से कम से कम 07 वर्षों के गोपनीय चरित्रावली प्रतिवेदन बहुत अच्छा श्रेणी तथा शेष अच्छा श्रेणी या उससे उच्च कोटि का नहीं होने पर.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.